GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFCATION

Jiapur, Dated 22/10/2010

In exercise of the powers conferred by sub-section(1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby rescinds this department's notification No.F2(26)FD/Tax/98pt./68, dated 28-6-2003.

(No.F.2(48)FD/Tax/10-84)
By Order of the Governor,
Sd/-
(Bhawani Singh Detha)
Dy. Secretary to the Government

कार्यालय महानिरीक्षक,पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,राज.,''कर-भवन'', अजमेर

क्रमांकः एफ-7(40)जन/10/ 20360 to 20809 दिनांकः28/10/2010

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन सचिव (राजस्व) वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव एवं कमिश्नर सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राज. जयपुर की विभाग की वेबसाईट www.rajstamp.gov.in पर अपलोड हेतु।
3. समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
4. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एस.आर.ए.5/कार्यालय महालेखाकार, (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर।
5. पंजीयक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को कर बोर्ड के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ।
6. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
7. उप विधि परामर्शी/सहायक विधि परामर्शी, मुख्यालय, अजमेर।
8. अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर।
9. समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), राजस्थान।
10. समस्त उप पंजीयकगण, राजस्थान।
11. मुख्य विधि सहायक कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), वृत-जयपुर/जोधपुर।
12. उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
13. कम्प्यूटर प्रोग्रामर, मुख्यालय, अजमेर को परिपत्र की प्रति विभाग की बेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
14. समस्त आन्तरिक लेखा जांच दल, मुख्यालय, अजमेर।
15. निजी-सचिव,महानिरीक्षक/निजी-सहायक, अति. महानिरीक्षक।
16. समस्त शाखाएँ, मुख्यालय, अजमेर।

अतिरिक्त महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

F7-Circular-10

राजस्थान सरकार
वित्त (कर) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिनांक: 26.10.10

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस संबंध मे पूर्व मे जारी अधिसूचना कमांक प.2(26)वित्त/कर/98-पार्ट-34 दिनांक 28.07.2008 को अतिक्रमित करते हुये, राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित मे ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि राजस्थान टाऊनशिप पॉलिसी, 2010 के तहत पंजीकृत निजी कृषि भूमिधारी/निजी विकासकर्त्ता/निजी निवेशकर्त्ता द्वारा 10 हैक्टर या अधिक भूमि पर टाऊनशिप स्थापित करने या 10 हैक्टेयर तक की भूमि पर आवासीय, ग्रुप हाऊसिंग या अन्य परियोजना स्थापित करने के लिये कृषि भूमि से गैरकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरित भूमि के भूखण्डों के संबंध मे जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, नगर सुधार न्यासों, नगर पालिकाओं, नगर परिषदों या नगर निगमों द्वारा ऐसे आवंटी के पक्ष मे निष्पादित लीज डीड पर मुद्रांक शुल्क घटाकर भूखण्ड के बाजार मूल्य के स्थान पर निम्नानुसार देय होगा:-

1. यदि पट्टा विलेख आवासीय, संस्थानिक, औद्योगिक, पर्यटन प्रयोजनार्थ, प्रथम आवंटी के पक्ष मे निष्पादित किया गया है तो आवासीय रूपान्तरण शुल्क की राशि की 4 गुना राशि को प्रतिफल मानते हुये प्रचलित दर से मुद्रांक शुल्क देय होगा।
2. यदि पट्टा विलेख वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ, प्रथम आवंटी के पक्ष मे निष्पादित किया गया है तो आवासीय रूपान्तरण शुल्क की राशि की 8 गुना राशि को प्रतिफल मानते हुये प्रचलित दर से मुद्रांक शुल्क देय होगा।
3. अधिसूचना के अनुसार मुद्रांक शुल्क प्रयोजनार्थ प्रतिफल राशि की गणना की छूट पट्टा विलेख निष्पादन की दो माह की अवधि में पट्टा विलेख पंजीयन हेतु प्रस्तुत करने पर ही देय होगी। इस अवधि के पश्चात् पंजीयन हेतु प्रस्तुत पट्टा विलेखों के संबंध मे मुद्रांक शुल्क प्रयोजनार्थ प्रतिफल की गणना निम्नानुसार होगी:-
   (a) पट्टा विलेख निष्पादन की दिनांक से 2 माह पश्चात् एवं 4 माह की अवधि मे पंजीयन हेतु प्रस्तुत होने पर प्रतिफल में 25 प्रतिशत की वृद्धि को सम्मिलित कर कुल राशि पर,
   (b) पट्टा विलेख निष्पादन की दिनांक से 4 माह पश्चात् एवं 8 माह की अवधि में पंजीयन हेतु प्रस्तुत होने पर प्रतिफल में 50 प्रतिशत की वृद्धि को सम्मिलित कर कुल राशि पर,
   (c) उपरोक्त निकायों/संस्थाओं के द्वारा निष्पादित पट्टा विलेख यदि पंजीयन के लिए निर्धारित निष्पादन की दिनांक से 8 माह की अवधि के पश्चात् उपरोक्त निकायों/ संस्थाओं से पुनर्वैध करवाकर पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसी स्थिति में पुनर्वैध किये गये दस्तावेज में अंकित अचल सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर कन्वेन्स की दर से मुद्रांक शुल्क देय होगा।
4. विकासकर्ता द्वारा एक बार आवंटित भूखण्ड का आवंटन निरस्त कर पुनः आवंटित करने या पश्चात्वर्ती हस्तान्तरण करने पर ऐसे भूखण्डो की मालियत बाजार दर से की जाकर स्टाम्प ड्यूटी देय होगी।

(प.2(37)वित्त/कर/2010-88)
राज्यपाल के आदेश से,

(भवानी सिंह देथा)
शासन उप सचिव

कार्यालय महानिरीक्षक,पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,राज.,''कर-भवन'', अजमेर

क्रमांकः एफ-7(40)जन/10/ 19910-20359 दिनांकः 28/10/2010

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन सचिव (राजस्व) वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव एवं कमिश्नर सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राज. जयपुर की विभाग की वेबसाईट www.rajstamp.gov.in पर अपलोड हेतु।
3. समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
4. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एस.आर.ए.5/कार्यालय महालेखाकार, (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर।
5. पंजीयक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को कर बोर्ड के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ।
6. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
7. उप विधि परामर्शी/सहायक विधि परामर्शी, मुख्यालय, अजमेर।
8. अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर।
9. समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), राजस्थान।
10. समस्त उप पंजीयकगण, राजस्थान।
11. मुख्य विधि सहायक कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), वृत-जयपुर/जोधपुर।
12. उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
13. कम्प्यूटर प्रोग्रामर, मुख्यालय, अजमेर को परिपत्र की प्रति विभाग की बेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
14. समस्त आन्तरिक लेखा जांच दल, मुख्यालय, अजमेर।
15. निजी-सचिव,महानिरीक्षक/निजी-सहायक, अति. महानिरीक्षक।
16. समस्त शाखाएँ, मुख्यालय, अजमेर।

अतिरिक्त महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

राजस्थान सरकार
वित्त (कर) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिनांक: 26.10.10

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम संख्या 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, एतद्द्वारा राजस्थान राज्य के भीतर जाति प्रमाण-पत्र, मूल निवास प्रमाण-पत्र, जन्म प्रमाण-पत्र, मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए निष्पादित या शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिये या शैक्षणिक छात्रवृत्ति की मंजूरी के लिये आवेदन के संबंध में अपेक्षित शपथ-पत्रों को नोटेरी पब्लिक से सत्यापित (Attested) कराने पर उक्त अधिनियम की अनुसूची के आर्टिकल 39 के तहत नोटेरियल एक्ट पर प्रभारित स्टाम्प शुल्क का इसके द्वारा परिहार करती है।

यह अधिसूचना तुरन्त प्रवृत्त होगी।

(प.5(21)वित्त/कर/10-87)
राज्यपाल के आदेश से

(भवानी सिंह देथा)
शासन उप सचिव

कार्यालय महानिरीक्षक,पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,राज.,"कर-भवन", अजमेर

क्रमांक: एफ-7(40)जन/10/19458 to 19908

दिनांक:28/10/2010

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन सचिव (राजस्व) वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव एवं कमिश्नर सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राज. जयपुर की विभाग की वेबसाईट www.rajstamp.gov.in पर अपलोड हेतु।
3. समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
4. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एस.आर.ए.5/कार्यालय महालेखाकार, (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर।
5. पंजीयक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को कर बोर्ड के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ।
6. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
7. उप विधि परामर्शी/सहायक विधि परामर्शी, मुख्यालय, अजमेर।
8. अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर।
9. समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), राजस्थान।
10. समस्त उप पंजीयकगण, राजस्थान।
11. मुख्य विधि सहायक कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), वृत-जयपुर/जोधपुर।
12. उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
13. कम्प्यूटर प्रोग्रामर, मुख्यालय, अजमेर को परिपत्र की प्रति विभाग की बेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
14. समस्त आन्तरिक लेखा जांच दल, मुख्यालय, अजमेर।
15. निजी-सचिव,महानिरीक्षक/निजी-सहायक, अति. महानिरीक्षक।
16. समस्त शाखाएँ, मुख्यालय, अजमेर।

अतिरिक्त महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर